

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र03-अ0-02-01/2013 4056

खाद्य/पटना, दिनांक-23.08.18

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- विभागीय स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश के अनुपालन में संबंधित आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारियों को नवपदस्थापन स्थान पर योगदान देने हेतु विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय आदेश ज्ञापांक-3093, 3094, 3095, 3096 एवं ज्ञापांक- 3098 दिनांक- 29.06.2018 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय आदेशों द्वारा स्थानांतरित आपूर्ति निरीक्षकों/पणन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक-3723 दिनांक- 03.08.2018 के आलोक में दिनांक- 31.07.2018 तक विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक-01.08.2018 के प्रभाव से स्वतः विरमित कर दिया गया है, परन्तु कुछ आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी द्वारा अभीतक नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया है, जो कि विभागीय आदेश की अवहेलना है । जिलों के कुछ स्थानों से स्थानांतरित कर्मियों द्वारा नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित कर दिया गया है परन्तु इन स्थानों पर दूसरे स्थान से स्थानांतरित कर्मियों द्वारा योगदान नहीं किये जाने के फलस्वरूप जिला अन्तर्गत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है ।

अतः अनुरोध है कि विभागीय आदेश के अनुपालन में स्थानांतरित कर्मियों को नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाय, अन्यथा नवपदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन,
Buley
23/8/18

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक—प्र03—अ0—02—01 / 2013

खाद्य / पटना, दिनांक—

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:— विभागीय स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश के अनुपालन में संबंधित आपूर्ति निरीक्षक / पणन पदाधिकारियों को नवपदस्थापन स्थान पर योगदान देने हेतु विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय आदेश ज्ञापांक—3093, 3094, 3095, 3096 एवं ज्ञापांक— 3098 दिनांक— 29.06.2018 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय आदेशों द्वारा स्थानान्तरित आपूर्ति निरीक्षकों / पणन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक—3723 दिनांक— 03.08.2018 के आलोक में दिनांक— 31.07.2018 तक विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक—01.08.2018 के प्रभाव से स्वतः विरमित कर दिया गया है, परन्तु कुछ आपूर्ति निरीक्षक / पणन पदाधिकारी द्वारा अभीतक नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया है, जो कि विभागीय आदेश की अवहेलना है । जिलों के कुछ स्थानों से स्थानान्तरित कर्मियों द्वारा नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित कर दिया गया है परन्तु इन स्थानों पर दूसरे स्थान से स्थानान्तरित कर्मियों द्वारा योगदान नहीं किये जाने के फलस्वरूप जिला अन्तर्गत असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है ।


अतः अनुरोध है कि विभागीय आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरित कर्मियों को नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाय, अन्यथा नवपदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह0 /—

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक— प्र03—अ0—02—01 / 2013 **4056** खाद्य / पटना, दिनांक— **23.08.18**
प्रतिलिपि—विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति),
पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।